This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 16 अप्रैल, 2021 / 26 चैत्र, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 फरवरी, 2021

संख्या टी0एस0एम0 एफ(1)–3 / 2013–III.––हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप (संशोधन) नियम, 2019 के प्रारूप को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 64 के अधीन की यथाअपेक्षित के अनुसार जनसाधारण से आक्षेप

या सुझाव आमन्त्रित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी0एस0एम0एफ(1)–3 / 2013–II, तारीख 22–11–2019 द्वारा राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 5 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित नियत अवधि के भीतर कुछ आक्षेप / सुझाव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में जनसाधारण से प्राप्त हुए हैं और प्रारूप नियमों में सम्यक् रूप से उन पर विचार किया गया और निगमित किया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 64 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 2 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 2 के उप–नियम (1) में.––

(*i*) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''(ख) ''संगम'' से, हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 या हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी या सुसंगत अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी / न्यास अभिप्रेत है।'';

(*ii*) खण्ड (ठ) में ''और'' शब्द को हटाया जाएगा; और

(*iii*) खण्ड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(ढ) ''ट्रैकिंग (पैदल यात्रा)'' से, प्राकृतिक क्षेत्रों / वनों / पर्वतीय क्षेत्रों की खोज करने और उनका आनन्द लेने के विशेष लक्ष्य के साथ पैदल चलना अभिप्रेत है; किन्तु इसके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीखों के दौरान किसी धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा के ट्रैक रूट पर चलना सम्मिलित नहीं है; और

(ण) "ट्रैक रूट" से, पर्यटन और वन विभाग द्वारा समय–समय पर कठिनाई के स्तर पर निर्भर करते हुए आसान, सुगम या दुर्गम ट्रैक के रूप में चिह्नित और अधिसूचित रेखागत पथ या रूट अभिप्रेत है।''।

3. **नियम 3 का संशोधन.––**उक्त नियमों के नियम 3 में,––

(*i*) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''(3) यथास्थिति, ऑपरेटर (ऑपरेटरों) या गाइड (गाइडों) या अनुदेशक (अनुदेशकों) या संगम (संगमों), जिनका स्थानीय कार्यालय है और जिनका सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव है, को अधिनियम के अधीन पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश के साथ रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। उस / उन ऑपरेटर (ऑपरेटरों) या गाइड (गाइडों) या अनुदेशक (अनुदेशकों) या संगम (संगमों), जो हिमाचल प्रदेश के बाहर बसे हैं, को भी राज्य में स्थानीय कार्यालय रखने की आवश्यकता है।

(*ii*) उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''(6) विहित प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ऑपरेटर के प्रचालन को विहित प्राधिकारी की अधिकारिता तक ही निर्बंधित नहीं करेगा किन्तु यह संपूर्ण राज्य में विधिमान्य रहेगा। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अभिलेख हेतु रजिस्ट्रीकरण के बारे में अन्य जिला को सूचित करेगा;

(7) विहित प्राधिकारी प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्रों को जारी करने के निर्णय के सम्बन्ध में समस्त जिलों और पर्यटन निदेशालय को संसूचित करेगा;

(8) ऑपरेटर अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेगा; अर्थात् :––

(क) समस्त गाइडों और अनुदेशकों के ब्यौरों सहित उनके अनुभव के प्रमाणन और अभिलेख की प्रतियां;

(ख) प्रस्तावित साहसिक क्रीड़ा रजिस्ट्रीकरण हेतु समस्त अनुज्ञापत्रों और अनुमतियों की प्रतियां;

(ग) समस्त सहभागियों, गाइडों और अनुदेशकों के पहचान दस्तावेजों, बीमा कवर की प्रतियां;

(घ) मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) की प्रति; और

(ङ) विशिष्ट साहसिक क्रीड़ा के अन्तर्गत दुर्घटना की दशा में ग्राहकों की आपातकाल निकासी और बचाव हेतु आपातकाल कार्य योजना।''।

4. नियम 4 का संशोधन.––उक्त नियमों के नियम 4 में,––

(*i*) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(3) साहसिक यात्रा ऑपरेटर के पास इसके प्रत्यक्ष नियोजनाधीन कम से कम दो अनुभवी और सुशिक्षित (सुअर्हित) कार्यकारी कर्मचारिवृन्द होने चाहिएं। या तो स्वामी या निदेशक स्वयं या उनके प्रचालन–मुख्य, साहसिक क्रियाकलाप, जिसे / जिन्हें ऑपरेटर चलाना चाहता है, में सुअर्हित होने चाहिए। अर्हता को अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण (माउंटनियरिंग) और सहबद्ध क्रीड़ा संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश या हिमालयन पर्वतारोहण (माउंटनियरिंग) संस्थान दार्जिलिंग या नेहरू पर्वतारोहण (माउंटनियरिंग) संस्थान उत्तरकाशी या जवाहर पर्वतारोहण (माउंटनियरिंग) और जल क्रीड़ा संस्थान पहलगाम द्वारा या सम्बद्ध क्रियाकलापों में कम से कम दो वर्ष के व्यावहारिक अनुभव के साथ क्रियाक्लाप में किसी अन्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थान द्वारा प्रमाणन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।'';

(*ii*) उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

''(4) ऑपरेटर को अपने क्रियाकलापों की विशेषज्ञता या ऐसा क्रियाकलाप जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकरण करवाना चाहता है, जैसे रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइबिंग, हॉट ऍअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बाल्ज, वाटर बाल्ज, बंजी जंपिंग और जिपलाइन / फलाईंग फॉक्स, जॉय राईडज़ / फन पार्कस या ऐसे किसी अन्य क्रियाकलाप को अवश्य स्पष्टतया इंगित करना होगा।

(5) ऑपरेटर के पास अपने स्वयं के साहसिक उपकरण के साथ–साथ प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) / कार्डियो पलमनरी रिससिटेशन में विशेषज्ञ प्रशिक्षित कर्मचारिवृन्द अवश्य होने चाहिए, जिन्होंने सरकारी अस्पताल या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) में सफलतापूर्वक आधारक कोर्स या भारतीय साहसिक टूर ऑपरेटर्स संगम द्वारा संचालित सर्टीफिकेट कोर्स पूर्ण किया हो और जो स्ट्रेचर्ज के प्रयोग में प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण देने में भी सक्षम हो।

(6) ऑपरेटर सतत् इकोलॉजिकल प्रेक्टिस के पालन और पर्यटन मंत्रालय/भारतीय साहसिक टूर ऑपरेटर संगम की इको–पर्यटन और सुरक्षा के दिशा–निर्देशों और सुरक्षा दिशा–निर्देशों के अनुरक्षण हेतु पर्यावरण के संरक्षण हेतु वचन देगा।

(7) प्रत्येक ऑपरेटर को दुर्घटनावश मृत्यु, अंगों और/या आंखों की हानि और स्थायी/आंशिक निःशक्तता के हेतु बीमा और आपातकालीन निकासी द्वारा ग्राहकों/गाइडों/अनुदेशकों के जोखिमपूर्ण पहलु (रिस्क फैक्टर) का जिम्मा लेना होगा।''।

5. **नियम 6 का संशोधन.**––उक्त नियमों के नियम 6 में,––

(*i*) उप नियम (1) में ''रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र'' शब्दों के पश्चात् ''जो सम्पूर्ण राज्य में विधिमान्य होगा,'' शब्द और चिह्न अन्तः स्थापित किए जाएंगे; और

(*ii*) उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(3) गाइड/अनुदेशक अवश्य 21 वर्ष की आयु का होना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित चिकित्सीय आरोग्य होना चाहिए। उसके पास सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी विधिमान्य बेसिक (आधारक) फर्स्ट एड (प्राथमिक उपचार) और कार्डियो पलमनरी रिससिटेशन (सी पी आर) प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। वह हिन्दी और अंग्रेजी में उत्तम संचार कौशल रखता हो ।'' !

6. **नियम 7 का संशोधन.**––उक्त नियमों के नियम 7 के उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः––

''(3) गाइड/अनुदेशक को अपने क्रियाकलाप की विशेषज्ञता या ऐसे क्रियाकलाप जिनके लिए वह रजिस्टर करवाना चाहता है, जैसे रेपलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइबिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बाल्ज, वाटर बाल्ज़, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फलाईंग फॉक्स, जॉय राइडज़ या अन्य कोई ऐसा क्रियाकलाप अवश्य स्पष्टतया इंगित करना होगा।''।

7. **नियम 8 का प्रतिस्थापन.**––उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''तकनीकी समिति का गठन.–(1) सरकार विविध साहसिक क्रियाकलापों जैसे रेपलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइबिंग, हॉट एअॅर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बॉल्ज, वाटर बॉल्ज़, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फलाईंग फॉक्स, जॉय राईडज़/फन पार्कस आदि संचालन करने के लिए अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के लिए तकनीकी समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:––

(*i*) निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	अध्यक्ष;
(*ii*) निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली।	उपाध्यक्ष;
(*iii*) सम्बद्ध क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक या उसका/उसकी प्रतिनिधि	सदस्य;
(*iv*) सम्बद्ध क्षेत्र का उप–मण्डल मजिस्ट्रेट या उसका/उसकी प्रतिनिधि	सदस्य;
(*v*) सम्बद्ध क्षेत्र का वन अरण्यपाल या उसका/उसकी प्रतिनिधि	सदस्य;

(*vi*) सम्बद्ध क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसका / उसकी प्रतिनिधि — सदस्य;

(*vii*) सम्बद्ध क्षेत्र का सहायक निदेशक / उप निदेशक (मत्स्यपालन) या उसका / उसकी प्रतिनिधि। — सदस्य;

(*viii*) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का कार्यकारी / सहायक अभियन्ता (यान्त्रिकी)। — सदस्य;

(*ix*) सम्बद्ध जल–विद्युत परियोजना प्राधिकरण का प्रतिनिधि — सदस्य;

(*x*) सम्बद्ध क्षेत्र का कमाडैण्ट, गृह रक्षा या उसका / उसकी प्रतिनिधि — सदस्य;

(*xi*) जल–क्रीडा केन्द्र का प्रभारी या उसका / उसकी सम्यक् रूप से अर्हित प्रतिनिधि। — सदस्य;

(*xii*) साहसिक क्रियाकलाप संगम का एक सदस्य — सदस्य; और

(*xiii*) उप–निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में सम्बद्ध क्षेत्र का सहायक पर्यटन विकास अधिकारी। — सदस्य–सचिव ।

(2) विनियामक समिति का अध्यक्ष अपनी शक्तियों को उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकता है, जो उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसकी बैठक के संचालन के लिए सात सदस्यों से गणपूर्ति आवश्यक होगी।''।

8. **नियम 9 का संशोधन.**––नियम 9 के विद्यमान उपबन्ध को (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''(2) तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत ऑपरेटर(रों) या गाइड (गाइडों) या अनुदेशक (अनुदेशकों) सोसाइटी (सोसाइटियां) सम्पूर्ण राज्य में संचालित करने के लिए पात्र होंगी।''।

9. **नियम 10 का प्रतिस्थापन.**––उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः––

''विनियामक समिति का गठन और इसके कृत्य.––(1) आयुक्त / निदेशक (पर्यटन) अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक स्थल, नदी और प्रचालन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सदस्यों से समाविष्ट एक विनियामक समिति का गठन करेगा, अर्थात् :––

(*i*) उपायुक्त — अध्यक्ष;

(*ii*) निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली। — उपाध्यक्ष;

(*iii*) सम्बद्ध क्षेत्र का उप–मण्डल मजिस्ट्रेट या उसका / उसकी प्रतिनिधि — सदस्य;

(*iv*) सम्बद्ध क्षेत्र का उप–पुलिस अधीक्षक या उसका / उसकी प्रतिनिधि — सदस्य;

(*v*) सम्बद्ध क्षेत्र का वन–मण्डल अधिकारी या उसका / उसकी प्रतिनिधि — सदस्य;

(*vi*)	सम्बद्ध क्षेत्र का कमांडैण्ट, गृह रक्षा या उसका/उसकी प्रतिनिधि	सदस्य;
(*vii*)	सम्बद्ध क्षेत्र का खण्ड चिकित्सा अधिकारी या उसका/उसकी प्रतिनिधि।	सदस्य;
(*viii*)	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध क्षेत्र का अधिशासी अभियन्ता (यान्त्रिकी)	सदस्य;
(*ix*)	सम्बद्ध क्षेत्र का सहायक निदेशक/उप निदेशक (मत्स्यपालन) या उसका/उसकी प्रतिनिधि	सदस्य;
(*x*)	सम्बद्ध क्षेत्र के जल क्रीड़ा संगम का अध्यक्ष या उसका/उसकी प्रतिनिधि	सदस्य; और
(*xi*)	उप–निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला पर्यटन और विकास अधिकारी।	सदस्य–सचिव

(2) विनियामक समिति का अध्यक्ष अपनी शक्तियों को उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकता है, जो उसकी (अध्यक्ष की) अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसकी बैठक के संचालन के लिए छः सदस्यों से गणपूर्ति आवश्यक होगी।"।

10. नियम 11 का संशोधन.–उक्त नियमों के नियम 11 के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''(*i*) विनियामक समिति, उन ऑपरेटरों सहित जिनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जिला के बाहर से जारी किए गए हैं, सम्बद्ध जिला के विविध साहसिक क्रियाकलापों के संगमों, यदि कोई है, की सहायता से क्षेत्र के प्रचालनों को विनियमित करने के लिए सम्पूर्ण नियन्त्रण रखेगी।''।

11. नियम 12 का प्रतिस्थापन.––उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

"1. सुरक्षा उपायः

(1) साहसिक खेलों में भाग ले रहे व्यक्तियों के प्रत्येक समूह के साथ अनुदेशक/गाइड के रूप में पदामिहित व्यक्ति रहेगा।

(2) अनुदेशक/गाइड के पास उसके रजिस्ट्रीकरण आवेदन पत्र उपदर्शित समुचित अर्हता और कौशल होना आवश्यक है।

(3) साहसिक खेलों में लगे समूह में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति परिचायक प्रशिक्षण अवश्य (लेगा) ग्रहण करेगा और अनुदेशक/गाइड का समाधान होना चाहिए कि उन्होंने साहसिक खेलों में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कर लिया है।

(4) बाह्य (आउटडोर) साहसिक खेलों के लिए अनुदेशक/गाइड तलाशी प्रक्रियाओं का जानकार होना चाहिए और समूह के सभी सदस्यों को इन प्रक्रियाओं से पक्षसार (ब्रीफ) करेगा।

(5) समूह के सभी सदस्यों को रेडियो निर्धारण प्रणाली (जी0पी0एस0) आधारित उपकरणों, जहां ये अपेक्षित हैं [विशेषतः पैदल यात्रा (ट्रैकिंग), हॉट एअर बैलूनिंग आदि] के उपयोग से अवश्य परिचित करवाया जाएगा।

(6) अनुदेशक / गाइड भी हैलिकॉप्टर प्रचालनों से परिचित होना चाहिए। साहसिक खेल की आवश्यकता अनुसार उनको हैलिकॉप्टर तक पहुंच और ऊपर और नीचे विंच करने की प्रक्रियाओं की जानकारी होनी चाहिए।

(7) अनुदेशक / गाइड को, विशेषतः ट्रैकिंग संचालनों के लिए किसी भी मौसम में, दिन हो या रात हो, भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जी.पी.एस), मानचित्रों और कम्पास के उपयोग में प्रवीण होना चाहिए।

(8) अनुदेशक / गाइड का समाधान होना चाहिए कि समूह के सभी सदस्य साहसिक खेलों में भाग लेने के लिए चिकित्सीय रूप से उपयुक्त हों।

(9) अनुदेशक / गाइड का स्वयं का समाधान होने पर प्रत्येक साहसिक खेल के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं; विनिर्माता और तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत किए गए सभी निरीक्षण कार्यान्वित किए गए हैं और ये उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।

(10) किसी भी दशा में ऑपरेटर / अनुदेशक / गाइड साहसिक खेल उपस्कर निर्माता द्वारा नियम क्षमता से अनधिक उपयोग नहीं करेगा और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए यथा अपेक्षित के सिवाय कोई अनधिकृत उपांतरण नहीं करेगा।

(11) ऑपरेटर / अनुदेशक / गाइड संचालन स्थल पर क्रियाकलापों की प्रकृति, संचालन क्षेत्र, क्रियाकलाप की अवधि, संभावित परिसंकटों, आपातकाल की दशा में सम्पर्क किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रतिभागियों की सूची के बारे में जानकारी रखेगा;

(12) ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा, कि साहसिक खेल प्रतिभागियों / समूहों को बाह्य (आउटडोर) आयोजनों जैसे कि रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइबिंग, हॉट एअॅर बैलूनिंग, बंजी जंपिंग और जिपलाइन / फलांईग फॉक्स आदि के लिए वर्गीकृत संकट संकेत क्षमता (ग्रेडिड डिस्ट्रेस सिग्नल केपाबिलिटस) से युक्त यन्त्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

(13) प्रत्येक साहसिक खेल ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभागियों / अनुदेशकों / गाइडों के लिए मांग पर अर्हित चिकित्सक उपलब्ध हो।

2. ट्रैकिंग के लिए सुरक्षा उपाय.––(1) दुर्गम ट्रैक पर समूहों में ट्रैकिंग करने वाले ट्रैकिंग / पर्वतारोहण अभियानों के सभी सदस्य खेल में भाग लेने के लिए यथेष्टतया अर्हित होने चाहिए। राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थानों द्वारा जारी बुनियादी पाठ्यक्रम (बेसिक कोर्स) प्रमाण पत्र इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

(2) यदि ट्रैकर एक दिन से अधिक अवधि के लिए ट्रैकिंग करने / कैम्प / टैंट आदि लगाने की वांछा रखते हैं तो वन क्षेत्रों सहित ट्रैकिंग के लिए ट्रैकरों / ऑपरेटरों को कैम्प / टैंट आदि लगाने के लिए वन विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3) ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रैकिंग केवल अनुज्ञप्त मार्ग पर की जाए और किसी भी प्रकार के विचलन (अपयोजन) की अनुमति नहीं होगी।

(4) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि ट्रैकिंग क्रियाकलाप केवल उपयुक्त काल (सीजन) में और प्रातःकाल 7:00 बजे से सायंकाल 7:00 बजे के मध्य कार्यान्वित किए जाएं।

(5) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि समस्त ट्रैकिंग समूह भू–ट्रैक किए गए हों, जिन्हें जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकारी (डी.डी.एम.ए.) द्वारा मॉनीटर किया जाएगा। यहां तक कि वैयक्तिक ट्रैकर स्वयं को भी सरकार / जिला प्रशासन के भू–ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रजिस्ट्रीकृत करवाएंगे।

(6) ऑपरेटर को ट्रैकिंग प्रारंभ होने से पूर्व और पश्चात् संबद्ध क्षेत्रों की पुलिस चौकी/पुलिस थाने में ट्रैकरों के साथ–साथ प्रमाणित गाइडों/मार्गदर्शकों/अनुदेशकों की सूची भी प्रस्तुत करनी होगी।

(7) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि कोई भी ट्रैकर बीच रास्ते में ट्रैक परित्याग नहीं करेगा। अत्यावश्यकता की दशा में, या तो पूर्ण ट्रैकिंग समूह एक समूह के रूप में वापस आएगा या ट्रैक का परित्याग करने वाले ट्रैकर अनुदेशक/गाइड के पर्यवेक्षणाधीन वापस आएंगे।

(8) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्रतिभागी, अनुदेशक/गाइड मास्टर का कम से कम दो लाख रुपए का जीवन बीमा और दो लाख रुपए का बचाव बीमा (कुल चार लाख रुपए का बीमा) करवाया गया हो।

(9) ट्रैकिंग अभियानों के अनुदेशक/गाइड के पास ऊपर यथानिर्दिष्ट पर्याप्त अर्हताएं होनी चाहिएं।

(10) केवल उन्हीं वैयक्तिक ट्रैकरों को कठिन ट्रैकिंग अभियान के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण (माउंटनियरिंग) और सहबद्ध क्रीड़ा संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश या हिमालयन पर्वतारोहण (माउंटनियरिंग) संस्थान दार्जिलिंग या नेहरू पर्वतारोहण (माउंटनियरिंग) संस्थान उत्तरकाशी या जवाहर पर्वतारोहण (माउंटनियरिंग) और जल क्रीड़ा संस्थान पहलगाम द्वारा या किसी अन्य मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थान से मैथडज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स (एम.ओ.आई) किया है।

(11) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रैकिंग अभियानों/समूहों के प्रतिभागी शारीरिकतः उपयुक्त होने चाहिए।

(12) ट्रैकिंग (विशेष रूप से पर्वतारोहण) के लिए प्रयुक्त उपस्कर यूनियन इंटरनेटोनेलडेस एसोसिएशन डी एल्पिनिश्म (इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एल्पाइन क्लब्ज) (यू0ए0ए0आई0) प्रमाणित या भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।

(13) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि बचाव उपस्कर जैसे रस्सियां, कवच, पुल्ली प्रणालियां और वहनीय स्ट्रैचर किसी उपयुक्त पैकेज में जिस पर ''बचाव उपस्कर'' मोटे अक्षरों में अंकित हो, एक पृथक किट के रूप में रखे गए हों।

(14) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि समस्त उपस्कर टूट–फूट के अध्यधीन हैं और उनकी प्रत्येक उपयोग से पूर्व अवश्य जांच करनी चाहिए। यहां तक कि उनके भण्डारण के दौरान इन उपस्करों का कालिकतः भण्डारण और निरीक्षण करना आवश्यक है। अनुपयोगी उपस्कर तत्काल हटाए जाएंगे और तकनीकी समिति उन्हें प्रमाणित करेगी।

(15) समस्त ट्रैकिंग प्रवास ऑपरेटर अपने प्रचालनों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया अनुरक्षित और अद्यतन करेंगे और उसको तीन वर्ष में एक बार तकनीकी समिति से सत्यापित करवाएंगे। मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ. पीज) के अंतर्गत निम्नलिखित होंगेः–

(क) पर्वत पर अभियान मार्गदर्शक और कुली कर्मचारिवृन्द और प्रदत्त सामग्री किए गए अभियानों के लिए पर्याप्त होना आवश्यक है;

(ख) आपात, जो प्राधिकारियों और प्रतिभागियों को ज्ञात होना चाहिए, की दशा में चिकित्सा सहायता/निष्क्रमण सहायता के लिए अग्रिम व्यवस्थाएं की जानी आवश्यक है; और

(ग) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रैकिंग अभियानों और ट्रैकिंग समूहों के समस्त प्रतिभागी शारीरिकतः उपयुक्त हैं।

(16) किसी ट्रैकिंग अभियान के प्रारंभ से पूर्व प्रतिभागियों को समस्त अन्तर्वलित कठिनाइयों और खतरों की सत्यता से अवगत कराया जाएगा। ऑपरेटर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वाणिज्यिक ट्रैकिंग अभियानों के लिए मार्गदर्शक दल और उनके अनुभव की जानकारी प्रतिभागियों को अग्रिम में भेजी जाए।

(17) प्रत्येक प्रतिभागी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसका अनुभव (प्रलेखन / फोटो द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित), चिकित्सा इतिवृत आदि सत्यतापूर्वक ऑपरेटर को प्रकट किया जाए, ताकि ऑपरेटर संभाव्य प्रतिभागियों के संबंध में कोई सूचित विकल्प कर सके।

(18) ऑपरेटर निम्नलिखित प्रलेखन अनुरक्षित करेगा :

(क) समस्त मार्गदर्शकों और अनुदेशकों के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत प्रमाणन की प्रतियां, ट्रैकिंग अनुभव का अभिलेख और प्रतिभागियों से प्रतिपुष्टि है;

(ख) प्रस्तावित ट्रैकिंग अभियानों के समस्त अनुज्ञापत्रों और अनुज्ञाओं की प्रतियां;

(ग) पहचान दस्तावेजों बीमा कवर की प्रतियां और समस्त प्रतिभागियों, गाइडों और अनुदेशकों के निकटतम संबंधियों के ब्यौरे;

(घ) मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) की प्रति; और

(ङ) आपात सम्पर्क नम्बरों की वर्तमान सूची। विशिष्ट ट्रैक के लिए आपात कार्य योजना। ;

(19) ट्रैकिंग ऑपरेटर भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस) या अन्तर्राष्ट्रीय मानक द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित ट्रैकिंग उपस्करों की व्यवस्था करेगाः––

- कम से कम 100 फुट लम्बी 10 मिलीमीटर चढ़ाई में काम आने वाली रस्सी, रस्सी का फंदा
- रैपलिंग रोप
- हैलमेट
- कारबीनीयर
- सीट कवच
- मिटन
- डिसेंडर
- पुल्ली
- स्टैचर
- तम्बू, शयन बैग और रसोई बर्तन
- ऑक्सीजन सिलेंडर सहित प्रथम उपचार पेटिका
- नब्ज ऑक्सीमीटर
- बर्फ के लिए कुदाल
- जीवन रक्षक दवाओं सहित चिकित्सा पेटिका

- व्यथित ट्रैकरों के हेलीकॉप्टरों द्वारा निष्क्रमण को प्राथमिकता दी जाएगी। बीमा हैली–निष्क्रमण को कवर करेगा।

- एक दिन से अधिक ठहराव वाले ट्रैकों के लिए जी.पी.एस आधारित युक्तियां

(20) ऑपरेटर पर्यावरण को साफ करने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करेगाः––

(क) ट्रैकर / ट्रैकरों को डिस्पोजेबलज़ के उपयोग को परिवर्जित करने के लिए अपनी स्वयं की कटलरी और पानी की बोतल साथ अवश्य लानी चाहिए;

(ख) ट्रैकर उसके द्वारा उत्पन्न समस्त अपशिष्ट वापस निकटतम शहर / नगर को ले जाएगा। पर्वतों पर इस अपशिष्ट के लिए कोई निकास नहीं है;

(ग) ट्रैकर पगडंडी में पाए गए अपशिष्ट को संगृहीत करेगा (करेंगे) और उसे पर्वतों से बाहर करने तथा शहर / नगर में किसी उचित निपटान इकाई में फैंकने में सहायता करेगा / करेंगे;

(घ) ट्रैकर को ट्रैक पर रासायनिक–मुक्त ठहरने के लिए जैविक टायलेटरीज़ का उपयोग करना सुनिश्चित करना आवश्यक होगा;

(ङ) ट्रैकर को अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि धुलाई–क्षेत्र और शौचालय जल–स्रोत से अवश्य ही कम से कम सौ मीटर दूर हो; और

(च) शिविर–स्थल की जल–स्रोत से कम से कम दूरी पचास मीटर आवश्यक हो।

3. बंजी जम्पिंग के लिए सुरक्षा उपायः

(1) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि कूद कर्मचारिवृंद विशिष्टतया कूद मास्टर उचित रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए, उनकी उच्च–स्तरीय शारीरिक उपयुक्तता तथा इस क्रियाकलाप में उनके पास व्यापक अनुभव होना चाहिए।

(2) बंजी जम्पिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला बडी एण्ड अल्ट्रा लाइट (बी एण्ड यू एल) कवच, कारावीनर और अन्य उपस्कर प्रमाणित और ख्याति प्राप्त कम्पनियों से उपाप्त किए जाने चाहिएं तथा मजबूत निर्माण और इस उपयोग हेतु उपयुक्त होने चाहिएं। ख्याति प्राप्त प्रदायकर्ताओं से पर्वतारोहण उपस्कर उचित है और काराबीनर स्क्रू गेट प्रकार का होना चाहिए। सुरक्षा नियमावली के अनुसार उपस्कर नियमित निरीक्षण सहित उचित प्रकार से भण्डारित और अनुरक्षित किए जाने चाहिएं। दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक निरीक्षण कार्यान्वित किया जाना चाहिए और समस्त निरीक्षण को अभिलेख स्थल पर अनुरक्षित की जाने वाली सुरक्षा लॉगबुक में दर्ज किया जाना चाहिए। तकनीकी समिति अपने निरीक्षण के दौरान उपस्कारों सहित समस्त निरीक्षणों के अभिलेखों का निरीक्षण करेगी।

(3) जम्प लाइन के समस्त भाग दोहरे होने आवश्यक हैं। यह बंजी के जोड़ से जंपर तक और लाइन के अन्य छोर पर संरचना के जोड़ तक विस्तारित होता है। सामान्यतया जंपर के पास एंकल–स्ट्रैप्स और शरीर या सीट कवच के बंधन होने चाहिएं।

(4) बंजी अभिलेख जंप मास्टरों द्वारा दर्ज और प्रमाणित किए जाने चाहिए। ऑपरेटर प्रत्येक जंप का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(5) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित दस्तावेज स्थल पर अनुरक्षित किए जाएं:–

- उपस्कर का अभिलेख
- सुरक्षा लॉग
- अनुरक्षण लॉग
- रबड़ या रस्सी लॉग बुक का अभिलेख
- जंप लॉग
- इंसिडेंट फोल्डरज़
- चिकित्सा अभिलेख
- प्रथम उपचार पेटिका अभिलेख
- बीमा अभिलेख
- कर्मचारिवृन्द प्रशिक्षण अभिलेख
- जंप मास्टर / अनुदेशक / मार्गदर्शक की फाइल।

(6) बंजी जम्पिंग किसी जम्प के लिए अनुज्ञात न्यूनतम भार 40 किलोग्राम और अधिकतम अनुज्ञात भार 110 किलोग्राम के साथ, 12 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के लिए सीमित होगी। कम से कम दो लट वाली रस्सियों का उपयोग किया जाना चाहिए और उनका जम्पर के भार के साथ मिलान करना चाहिए, वे मजबूत लट वाली रबड़ की रस्सी के लिए बीएस 3 एफ 70 1991 विनिर्देश या प्रकट रूप से समान स्तरमान के अनुरूप होनी चाहिए। तथापि, एक साथ खड़े लगभग एक हज़ार व्यष्टि की इसकी संरचना से अंतःनिर्मित अनावश्यकता के कारण लट विहिन रस्सी के लिए केवल एक ही पर्याप्त है। प्रत्येक रस्सी के लिए किसी स्वतंत्र स्रोत से परीक्षक प्रमाण–पत्र होना चाहिए और जम्पर के भार के अनुसार चयनित किया जाना चाहिए। इसकी अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दिन के प्रारंभ पर सम्पूर्ण लाइन के लिए एक डैड वेट ड्रॉप परीक्षण होना चाहिए।

(7) समस्त प्रतिभागियों को मार्गदर्शक / अनुदेशक / जम्प मास्टर स्वयं सुरक्षा ब्रीफिंग देगा। सुरक्षा उपाय कई स्थानों पर प्रमुखतया प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

(8) व्याकुलता परिवर्जित करने के लिए और प्रतिभागियों तथा दर्शकों की सुरक्षा के लिए स्थल पर कड़ा नियंत्रण किया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें जम्प क्षेत्र से अलग रखा जाएगा।

(9) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्रतिभागी अनुदेशक / गाइड / जम्प मास्टर का कम से कम 2.00 लाख रूपए का जीवन बीमा और 2.00 लाख रुपये का रक्षा बीमा (कुल 4.00 लाख रुपए का बीमा) करवाया गया है।

(10) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि बंजी जंम्पिंग क्रियाकलाप केवल 9.00 बजे प्रातः काल से 6.00 बजे सायंकाल के बीच अच्छे दिन की रोशनी में करवाया जा रहा है।

(11) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि समस्त प्रतिभागियों को बंजी जम्पिंग के लिए चिकित्सा अपेक्षाओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से संक्षेप में बताया गया है और उसे स्थल पर भी उपदर्शित किया गया है। समस्त जम्परज़ / प्रतिभागियों को आरोग्य प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करना होगा। बंजी जम्पिंग हेतु चिकित्सा निर्बधंनों में; हृदय विकार, उच्च रक्त चाप, स्नायु विकार स्पोंडिलिसिस, रीढ़ सम्बन्धी विकार, हाल ही में हुआ अस्थिभंग, सर्जरी या अस्पताल में दाखिला, मिर्गी, अस्थिविकार और प्रसवावस्था इत्यादि सम्मिलित है।

(12) ऑपरेटर के पास एक जम्पमास्टर / अनुदेशक / गाइड होगा जो स्थल का सम्पूर्णतः प्रभारी होगा।

4. रॉक क्लाइबिंग / कृत्रिम वॉल क्लाइबिंग और रैपेलिंग के लिए सुरक्षा उपायः

(1) ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि गाइड और अनुदेशक, जो क्लांइबिंग और रैपेलिंग क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं, निम्नलिखित के लिए विधिमान्य प्रमाण पत्र धारक होः–

(क) किसी मान्यता प्राप्त और अर्हित प्रदायकर्ता द्वारा प्रदान किया गया कम से कम 8 घण्टे (एक दिन) का प्राथमिक उपचार कोर्स; और

(ख) अटल बिहारी बाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी या जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन संस्थान पहलगाम या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान से मेथड ऑफ क्वालीफाइड इंस्ट्रक्टरज़ (एम.ओ.आई.) द्वारा सत्यापित बुनियादी पर्वतारोहण कोर्स। अर्हित अनुदेशक ने न्यूनतम 100 घण्टे के लिए क्लांइबिंग और रैपेलिंग क्रियाकलाप में सहायता की हो या इण्डियन माउंटेनीयरिंग फाउंडेशन (आईएम.एफ.) से मान्यता प्राप्त स्पोर्टस क्लांइबिंग इनस्ट्रक्टरज़ कोर्स या सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त उपरोक्त संस्थानों (संस्थाओं) द्वारा उपयुक्ततया प्रशिक्षकों / अनुदेशकों द्वारा सत्यापित पर्याप्त अनुभव रखते हों।

(2) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि क्लांइबिंग और रैपेलिंग उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा नियत किए हों और परिमायोग्य सुरक्षित भार में काम आने वाले हों। ऑपरेटरों को ऐसी प्रणालियों के लिए न्यूनतम मानदण्ड ऑपरेटर को भार सीमाओं के अनुसार 3 सुरक्षा कारक का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त, नियत सुरक्षा प्रणालियाँ बिना किसी दृश्यविकृति या नुकसान को उपदर्शित करते हुए 10 क्यू. एन. (एक टन) प्रमाणिक सहन करने योग्य होनी चाहिए। समुचित नियत स्थिरक / सुरक्षा प्रणालियों को पूर्णतया समझने के आशय से ऑपरेटर को स्थिर / सक्रिय भार और उतरने के कारकों की उपयुक्त जानकारी होनी चाहिए।

(3) ऑपरेटर मूल्यांकित और सुनिश्चित निजी सुरक्षात्मक उपस्कर (पी.पी.ई.) सहित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 25 क्यू.एन. (2.5 टन) के भार सुरक्षित काम में आने वाले उपस्कर का उपयोग करेगा।

(4) रस्सी के उपयोग के लिए ऑपरेटर इसके उदिृष्ट उपयोग की जानकारी हेतु विनिर्माता के मैनुअल को देखेगा। 25 क्यू.एन. (2.5 टन) सुरक्षित भार से कम काम में आने वाली और कांफोरमाइट यूरोपी मार्क (सी.ई.) अनुमोदन वाली रस्सी जो विशिष्टया क्लांइबिंग और रैपेलिंग क्रियाकलापों के उपयोग के लिए डिजाइन नहीं की गई है, को कभी भी इस प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(5) ऑपरेटर और अनुदेशक / गाइड को हार्डवेयर जैसे कारबीनरज़, खूंटी यन्त्रों इत्यादि, जो 25 क्यू.एन. (2. 5 टन) के सुरक्षित भार में काम आने वाले और सी. ई. अनुमोदन वाले हो, की सम्पूर्ण और उपयुक्त जानकारी होनी चाहिए।

(6) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि समस्त उपस्कर की टूट और फूट के अध्यधीन, प्रत्येक उपयोग से पूर्व अवश्य जांच की जानी चाहिए।

(7) तकनीकी समिति साहसिक क्रीड़ा और जोखिम आकलनों का, प्रचलनों की प्रक्रियाओं के अनुसार उपस्करों आदि का वर्ष में एक बार निरीक्षण करेगी।

(8) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि समस्त साज, अर्हित अनुदेशक / गाइड / मार्गदर्शक द्वारा उपयुक्त रूप से लगाई गई है और जांची गई है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सतह छोड़ने और संभावी उतरने के लिए वे उपयुक्त रूप से लगाई गई है।

(9) ऑपरेटर का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक प्रचालन में हैलमेट का उपयोग किया जा रहा है।

(10) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि समस्त क्लांइबिंग और रैपलिंग क्रियाकलापों में निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षा और मानदण्ड प्रयुक्त किए गए हैंः–

(क) कि विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए उपयोग किए जाने के आशय से स्थिरक स्थायी रूप (दृढ़ता) से लगाया गया है और उसका न्यूनतम 10 क्यू. एन (एक टन) भार को सहन करने के लिए परीक्षण कर लिया गया है;

(ख) कि रस्सी एक क्लांइबिंग रस्सी है जो किसी अनुमोदित विनिर्माता द्वारा बनाई गई है और इस विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए रस्सी सही प्रकार की है। रस्सी में किसी नुकसान (क्षति) या विकृति अर्थात् अत्यधिक ''रोएंदार'', चीरें, कतरनें, या टूटी हुई कमज़ोर टुकड़े, मोटे टुकड़े इत्यादि के निशान नज़र नहीं आने चाहिएं;

(ग) कि कारबीनरज़ और स्लिंग्ज केवल क्लांइबिंग और रैपेलिंग के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं और उनमें किसी भी प्रकार की क्षति या विकार या टूट–फूट के निशान नज़र न आते हों;

(घ) गांठे (जोड़) सही होने चाहिए और संभावी उतार (उतरने) के लिए खोलने से पूर्व दोहरी (दो बार) जांच की गई हो;

(ङ) साज, क्षतिग्रस्त, विकृत या टूटी–फूटी नहीं होनी चाहिए; और

(च) खूंटी यन्त्र उपयुक्त रूप से लगा होना चाहिए और खूंटी लगाने वाला जानता हो कि यन्त्र का कैसे उपयोग किया जाता है।

(11) 10 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागियों का क्लांइबिंग या रैपेलिंग क्रियाकलापों में भाग लेना अनुज्ञात नहीं होना चाहिए। समस्त प्रतिभागियों को क्रियाकलाप (गतिविधि) में शामिल होने वाले को जोखिम के बारे में संक्षेप में बताया गया हो और क्रियाकलापों (गतिविधियों) में भाग लेने से पूर्व उनकी शारीरिक अयोग्यता का ध्यान रखा गया हो। उन व्यक्तियों को जिन्हें हृदय रोग, रीढ़ संबंधी विकार, स्नायु विकारों, अस्थिभंग, हाल ही में हुई शल्य चिकित्सा या कोई अन्य चिकित्सा सम्बन्धी विकार है, गर्भवती महिलाओं और कम आयु के बच्चों को क्रियाकलाप (गतिविधियों) में भाग लेना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यह संस्तुति भी की जाती है कि मिर्गी, दमे के रोगियों (इनहेलर के बिना) को इस क्रियाकलाप से दूर रहना चाहिए।

(12) ऑपरेटर निम्नलिखित दस्तावेजीकरण का अनुरक्षण करेगा :–

(क) वारण्टी, सेवा और पूर्ववृत्त दस्तावेज़ीकरण सहित उपस्कर से सम्बद्ध क्रय की बाबत दस्तावेज़।

(ख) प्रलेखित प्रतिष्ठापन / अवसंरचना जांच–पड़तालें

(ग) अनुदेशक के प्रशिक्षण और अर्हताओं का रोज़नामचा (लॉगबुक)

(घ) विधिमान्य प्राथमिक उपचार / कार्डियो पलमनरी रिससिटेशन (सी.पी.आर.) प्रमाण–पत्र

(ङ) आपातकालीन कार्य योजना

(13) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि समस्त मार्गदर्शक / अनुदेशक / गाइड आपातकाल / निष्क्रमण प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित हों।

(14) समस्त अनुदेशकों और गाइडों को क्लाइंबिंग और रैपेलिंग क्रियाकलापों के समस्त प्रतिभागियों को सम्पूर्णतः संक्षेप में सुरक्षा के बारे में बताना चाहिए।

5. रीवर क्रॉसिंग / जिपलाइन / फलाइंग फॉक्स के लिए सुरक्षा उपायः–

(1) रीवर क्रॉसिंग / जिपलाइन / फलाइंग फॉक्स में लगे हुए समस्त गाइडों या अनुदेशकों को निम्नलिखित कार्यों के क्रियान्वयन के प्रशिक्षण और अनुभव का सही संयोजन होः––

(क) प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपस्कर और इसके भाग सही प्रकार से उपयोग किए गए हैं, के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान करना।

(ख) यह जांच–पड़ताल करना कि प्रतिभागी सही उपस्कर उपयोग कर रहे हैं

(ग) यह सुनिश्चित करना कि ऑपरेटर के सुरक्षा अनुदेशों की अनुपालना की जा रही है

(घ) मध्य अवधि बचाव करना, तीस मिनट में प्रतिभागी को सुरक्षित रूप से सतह (भूमि) पर वापस लाना, या किसी स्थल बचावकर्ता को सतर्क करना।

(ङ) स्ट्रैचर निष्क्रमण, यदि आवश्यक अपेक्षित हो, सहित प्राथमिक उपचार सहायता उपलब्ध (प्रदान) करवाना।

(2) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि रीवर क्रॉसिंग / जिपलाइन / फलाइंग फॉक्स केवल उनके द्वारा ही की जा रही है जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इस प्रकार विनिर्दिष्ट सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करने योग्य हैं। क्रीड़ाएं ऐसे निम्नलिखित से पीड़ित / अनुभव करने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं की जाएगीः––

(क) अस्थमा (दमा) [श्वास रोग (इनहेलर) के बिना]

(ख) उच्च रक्त चाप

(ग) हृदय रोग या हाल ही में की गई ओपन हार्ट शल्य चिकित्सा

(घ) मधुमेह

(ङ) घुटने से सम्बन्धित समस्याएं

(च) रीढ़ सम्बन्धी विकार

(छ) गंभीर एलर्जी

(ज) हाल ही में की गई शल्य चिकित्सा / अस्पताल में दाखिला

(झ) गंभीर प्रकृति की कोई अन्य बिमारियां

(ञ) प्रसवावस्था (गर्भवती महिलाओं को क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना चाहिए)

(3) रीवर क्रॉसिंग / जिपलाइन / फलाइंग फॉक्स के सन्दर्भ में स्थल का चयन संचालन सुरक्षा वाले अवस्थित किसी क्षेत्र में किया जाएगा इससे कोर्स के किसी भाग से प्रतिभागियों का निष्क्रमण करना संभव होगा।

(4) क्रियाकलाप के लिए प्रयुक्त सामग्री प्रयोजन के लिए उपयुक्त होगी और निम्नलिखित के अनुरूप होः—

(क) काष्ठ के भागों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाए ताकि वृष्टि वर्षण निर्बाध रूप से बह जाए और जल संचयन रोका जा सके। धातु के भाग पर्यावरणीय स्थिति के विरुद्ध मौसम रोधी होंगे। तार की रस्सी का निरीक्षण और उसे त्यागने का मानदण्ड आई. एस. ओ. 4309 के अनुरूप होगा / होंगे;

(ख) समस्त तार रस्सी के सिरे ई.एन.आई. 3411 पार्टस 1—7 के अनुरूप होंगे। तार के गूठों (ग्रिप) की संख्या तार की रस्सियों के प्रकारों और प्रयुक्त तार की रस्सियों और गूठों (ग्रिप) पर निर्भर होगी। तार की रस्सियों पर बंधन के प्वाईंट से अंग में थकावट (थकान) हो सकती है और इस पर निरीक्षणों के दौरान विशेष ध्यान दिया जाएगा;

(ग) समस्त तार के क्रियाकलाप प्रतिभागियों के कद और शरीर के भार हेतु ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाएंगे। गत्यात्मक (गतिशील) भार (उतरते हुए सहभागी से उत्पन्न) 6 क्यू.एन. से अधिक नहीं होगा। इस्पात से बनाई गई रस्सी स्वतः खूंटी बंधन की प्रणालियां उपयोग करने वाले प्रतिष्ठापनों पर अंतिम भार के सम्बन्ध में 3.0 सुरक्षा कारक उपयोग करते हुए विचार किया जाएगा;

(घ) अवलम्बन प्रणाली के लिए (क्रियाकलाप और सुरक्षा प्रणालियों के प्रतिष्ठापन के लिए आशयित कृत्रिम और / या प्राकृतिक अवसंरचना) संगणित भार हेतु उपयुक्त स्थिरता और प्रतिरोध होगा;

(ङ) प्रतिभागी और जीप वायर के मध्य सुरक्षा जोड़ समुचित वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपस्कर (पी.पी.ई) से बनाया जाएगा;

(च) तार रस्सियां प्रतिभागियों की पहुंच वाले किसी खुले, टूटे तार के किनारों सहित नहीं होगी। यदि जिप वायर और उतरने वाले क्षेत्र के प्रारम्भ के स्थल (प्वाईंट) से दृष्टिगोचर नहीं है तो विनियमन प्रणाली में परिवर्तन का उपयोग किया जाएगा। उतार के दौरान प्रतिभागियों के लिए ब्रेक अपेक्षित है; निष्क्रिय प्रणाली (जैसे गुरूत्वाकर्षण प्रतिरोध, बंजी नेट) सदैव सही स्थान पर होंगे; और

(छ) जहां प्रतिभागी के पैर जमीन से 1.0 मीटर से अधिक ऊपर हैं तो सुरक्षा प्रणाली स्थान पर होनी चाहिए जिसमें दोनों सामूहिक (जैसे कि जंगले, उतरने वाली चटाइयां) या एकल (जैसे उतार रोक उपकरण के लिए सुरक्षा हारनैस एवं खूंटी) होनी चाहिए।

(5) तकनीकी समिति क्रॉसिंग / जिपलाइन / फ्लांइग फॉक्स के स्थल को अनुमोदित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि निरीक्षण की तारीख और अवस्थिति के साथ तथा निरीक्षण के परिणाम सहित अवसंरचनात्मक विश्लेषण सहित पाई गई किन्हीं त्रुटियों के ब्यौरों सहित दृश्य निरीक्षण, कार्यात्मक निरीक्षण डिजाइन विधिमान्यता प्रलेखों को समिति द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

(6) पी.पी.ई. (वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपस्कर) सहित नियमित संचालन के लिए उपस्कर और इसके घटकों को निम्नलिखित रूप से निरीक्षित या अनुरक्षित करवाया जाएगाः–

(क) नियमित दृश्य जांच पड़ताल–प्रत्येक प्रारम्भ से पूर्व (ऑपरेटर द्वारा)

(ख) प्रचालन निरीक्षण– प्रत्येक 1–3 मास में (पर्यटन विभाग द्वारा)

(ग) कालिक निरीक्षण–तकनीकी समिति द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार जिसमें दृश्य निरीक्षण, कार्यात्मक निरीक्षण बदलाव का अवधारण, टूटे हुए पुर्जों की स्थिति, रख–रखाव के लिए विनिर्माता के अनुदेशों सहित निरीक्षण सम्मिलित होगा।

(घ) यन्त्रों के प्रत्येक सैट के लिए एक वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपस्कर निरीक्षण रजिस्टर अपेक्षित है

(7) ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि साहसिक क्रियाकलापों में भाग लेते समय समस्त प्रतिभागियों ने अपेक्षित वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपस्कर (पी.पी.ई.) पहना है। (पी.पी.ई.) में निम्नलिखित सम्मिलित होना चाहिएः–

(क) रॉक क्लांइबिंग सीट हार्नेस

(ख) अतिरिक्त चैस्ट हार्नेस या पूरे शरीर का हार्नेस, जहां उचित हो

(ग) सुरक्षा प्रणाली के संयोजन के दो पाइंट (जैसे कि लेनयार्डज एवं स्क्रू गेट कारबीनरज)

(घ) समस्त वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपस्कर (पी.पी.ई.) यूनियन इंटरनेशनल डेस एसोसिएशन्स डी एल्पाइनाइजम / (इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एल्पाइन क्लबज) (यू.आइ.ए.ए.) या ई.एम. / कनफरमाइट (यूरोपी मार्क सी.ई.) मानदण्डों के अनुरूप होंगे।

(8) किसी क्रियाकलाप के प्रारम्भ से पूर्व समस्त प्रतिभागियों को सुरक्षा अनुदेश सूचित किए जाएंगे जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,–

(क) क्रियाकलाप की परिस्थिति और इसमें अन्तर्निहित जोखिम; और

(ख) पी.पी.ई. सहित उपस्कर की परिस्थिति और प्रदर्शन, जब अपेक्षित हो।

(9) ऑपरेटर सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर निम्नलिखित दस्तावेज़ीकरण उपलब्ध हैः–

(क) स्वामी और ऑपरेटर का नाम और पता;

(ख) तकनीकी समिति द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षणों को दर्शाते हुए दस्तावेज़;

(ग) स्थल कार्मिकों और उनके जॉब नाम की सूची;

(घ) लोक और अन्य दायित्व बीमा का साक्ष्य;

(ङ) दैनिक प्रचालन शीटों से अन्तर्विष्ट लॉग बुक (प्रारम्भ और समापन पर निरीक्षणों के दौरान संप्रेक्षित त्रुटियों सहित सुरक्षा सम्बन्धी सुसंगत घटनाएं)। ये तीन वर्ष के लिए रखी जानी आवश्यक है;

(च) दुर्घटना और घटना की रिपोर्ट शीटें;

(छ) वैयक्तिक सुरक्षात्मक उपस्कर निरीक्षण रजिस्टर और प्रचालन लॉग;

(ज) जोखिम निर्धारण और प्रबन्धन योजना–जिपलाइन कोर्स ऑपरेटर द्वारा तैयार की गई;

(झ) विनिर्माता की उत्पाद पुस्तिका (मैनुअल);

(ञ) बचाव और आपातकालीन योजना; और

(ट) चालू निरीक्षण रिपोर्ट

(10) नदी पार करने (रीवर क्रॉसिंग) के कार्यकलापों में भाग लेते समय सभी मार्गदर्शकों / प्रतिभागियों के पास हर समय जीवन रक्षक जैकेट होनी आवश्यक है। जीवन रक्षक जैकेट की पर्याप्त उत्पलावकता (न्यूनतम 6.14 किलोग्राम और अधिमानतः 9 से 10 किलोग्राम) वाली होनी चाहिए, उचित प्रकार की जैकेट आरामदेह फीतों से युक्त व्यवस्था सहित यू. एस.कोस्ट गार्ड टाइप–III या V / यूरोपियन मानक समिति (सी.ई.एस.) / भारतीय मानक ब्यूरो संगठन (आई.एस.ओ.) वाली समुचित प्रकार से होनी चाहिए और जीवन रक्षक जैकेट ठीक प्रकार से पहनी जानी चाहिए। फुलाने योग्य जीवन रक्षक जैकेट और की होल टाइप जैकेटस अनुज्ञात नहीं की जानी चाहिए। मार्गदर्शक यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि आमोद यात्रा (ट्रिप) शुरू करने से पूर्व जीवन रक्षक जैकेटें सुरक्षित रीति से कसकर बांधी गई हैं।

(11) ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 के सुसंगत उपबंधों का पालन करेगा।

5. हॉट एअॅर बैलूनिंग के लिए सुरक्षा उपायः–

1. जहां किसी भी प्रकार के एअर क्राफ्ट, बैलून, ग्लाइडर इत्यादि के साहसिक क्रियाकलाप कार्यान्वित किए जाने हैं और महानिदेशक नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) से समुचित मंजूरी अवश्य प्राप्त की जानी अपेक्षित है और इण्डियन एअर फोर्स आइडेंटिफिकेशन एजैन्सीज़ (ए.डी.आई.ए.) की आवश्यक अधिसूचना आज्ञापक है। ऐसे क्रियाकलापों का प्रचालन करने के लिए मंजूरी / अनुज्ञप्ति से पूर्व निम्नलिखित को महत्व दिया जा सकेगा.–

(क) नोटम (एन.ओ.टी.ए.एम.) उड़ान / वायु साहसिक क्रियाकलापों के प्रचालन के लिए सम्बद्ध नागरिक विमानन अभिकरणों जैसे महानिदेशक नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) को सूचित करना अनिवार्य होगा ताकि उड़ान क्रियाकलापों के सुरक्षित और सुगम प्रचालन के लिए उड़ान क्रियाकलापों की प्रकृति ज्ञात की जा सके।

(ख) एअर डिफेंस आइडेंटीफिकेशन ऐजेंसी की मंजूरी (स्वीकृति).–ऐसे प्रचालकों / उड़ान स्कूलों / वायु साहसिक क्लबों से उनकी उड़ान के सम्बद्ध एअर आइडेंटिफिकेशन ऐजेंसी (ए.डी.आई.ए.) की ऊंचाई, उड़ान की अवधि, प्रचालन के क्षेत्र आदि के लिए वायु सुरक्षा मंजूरी (स्वीकृति) आकाशी पिंड की तुरन्त पहचान और उड़ान सुरक्षा के जोखिम के बिना कारगर वायु उड़ान स्थल प्रबन्धन के समस्त आवश्यक ब्यौरों सहित अनिवार्य अपेक्षा होगी।

(2) हॉट एअर बैलून को उड़ाने के लिए महानिदेशक नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) द्वारा जारी किया गया बैलून पायलट लाइसेंस होना चाहिए। यदि कोई ऑपरेटर विदेशी पायलटों को नियोजित करता है, तो उन पायलटों के पास एक विधिमान्य एफ.ए.टी.ए. (विदेशी एयरक्रू अस्थाई प्राधिकरण) होना चाहिए जिसे महानिदेशक नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) द्वारा जारी किया गया हो। प्रत्येक पायलट के पास सम्बद्ध नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा पृष्ठांकित चिकित्सा प्रमाण पत्र समस्त पाइलेट लाइसेंस अपेक्षाओं के भाग रूप में होना चाहिए।

(3) ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि उड़ान में बैलून द्वारा निम्नलिखित उपकरणों को ले जाया जाए;

(क) व्यक्तियों को ले जाने वाले मुख्य कम्पार्टमैंट में एक अनुमोदित प्रकार के हाथ से आग बुझाने वाला अग्निशमन यंत्र होना चाहिए;

(ख) बोर्ड पर प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा साज / प्रत्येक व्यक्ति के लिए गोंडोला या बास्केट प्रकार के बैलून हेतु साज प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है;

(ग) एक कम्पास एक एलटिमीटर, चढ़ाई सूचक की दर;

(घ) प्राथमिक उपचार किट (सी.ए.आर.) शृंखला एक्स भाग–III के अनुसार;

(ङ) एक ईंधन गुणवता गेज;

(च) एक लिफ़ाफा तापमान सूचक;

(छ) तीन अलग इग्निशन स्रोत;

(ज) दो तरह से आर / टी संचार और भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जी.पी.एस.) उपकरण; और

(झ) उड़ान मैनुअल, संचालन मैनुअल और महानिदेशक, नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) द्वारा विनिर्दिष्ट सभी अन्य प्रासंगिक मैनुअल।

(4) क्योंकि बैलून प्रमाणित एयरक्राफ्ट है और ऐसी हैसियत से महानिदेशक नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) द्वारा विनियमित होते हैं। उन्हें विनिर्माण मानकों को पूरा करने और वाणिज्यिक विमानों की तरह आवधिक निरीक्षण के अधीन होने चाहिए। समस्त बैलून महानिदेशक नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) के साथ रजिस्ट्रीकृत किए जाने चाहिए और इनके रजिस्ट्रीकरण संख्या को बैलून पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(5) निर्माता रख–रखाव मैनुअल के आधार पर ऑपरेटरों को एक विमान रख–रखाव कार्यक्रम (ए.एम.पी) तैयार करने की आवश्यकता है जिसे महानिदेशक, नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।

6. ऑपरेटर द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज बनाए रखना आवश्यक है,–

(क) स्वामी और ऑपरेटर के ब्यौरे;

(ख) निरीक्षण निकाय द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षणों को इंगित करने वाला दस्तावेज;

(ग) सुंसगत प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ पायलटों की सूची;

(घ) लोक और अन्य दायित्व बीमा की प्रतियां (पायलट प्रतिभागियों और तीसरा पक्ष);

(ङ) विमानपत्तन प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरणों से अनुमति की प्रतियां;

(च) दैनिक ऑपरेशन शीट युक्त लॉग बुक;

(छ) दुर्घटना / घटना की रिपोर्ट शीट;

(ज) उड़ान और संचालन लॉग;

(झ) पैसेंजर मैनीफेस्ट शीट;

(ञ) जोखिम निर्धारण और प्रबंधन योजना;

(ट) आपातकालीन प्रक्रिया मैनुअल और निर्माता उत्पाद मैनुअल; और

(ठ) वर्तमान निरीक्षण रिपोर्ट

(7) प्रभारी पायलट निम्नलिखित के लिए प्रतिभागियों का (पूर्व उड़ान यात्री ब्रीफिंग) संक्षेप करेगा,–

(क) क्रियाकलाप का विवरण;

(ख) सुरक्षा निर्देश;

(ग) मौसम, चिकित्सा और आयु प्रतिबंध; और

(घ) ऑपरेटर की व्यक्तिगत लोक दायित्व बीमा से संबंधित जानकारी।

ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पायलट और यात्री आपातकालीन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझें। महानिदेशक, नागरिक विमानन (डी0जी0सी0ए0) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी हॉट एअॅर बैलून में व्यापक बीमा होना चाहिए जिसमें सभी यात्रियों, पायलट और तीसरे पक्ष के दायित्व का कवरेज शामिल हो। सर्वोत्तम व्यवहार के रूप में सभी वाणिज्यिक ऑपरेटरों को प्रत्येक यात्री से समान्य स्वास्थ्य और शारीरिक तन्दरूस्ती के बुनयादी स्तर की अपेक्षा करनी चाहिए जिस में निम्न शामिल होगाः–

(क) हाल ही में कोई शल्य चिकित्सा न की गई हो;

(ख) कोई भी ज्ञात महत्वपूर्ण कूल्हे, घूटने, गर्दन या पीठ की समस्या न हो;

(ग) हाल ही में टूटी हुई हड्डी कोई न हों;

(घ) वर्तमान में गर्भवती न हो;

(ङ) आराम के बिना कम से कम एक घंटा तक खड़े रहने की क्षमता रखता हो;

(च) कम से कम पांच वर्ष की आयु अवश्य हो; और

(छ) उड़ान के समय शराब या ड्रग्स के प्रभाव में न हो। पायलट हॉट एअॅर बैलून में सभी यात्रियों के सवार होने से पहले चिकित्सा स्थिति का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है और ऑपरेटर किसी भी यात्री को उड़ान भरने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । यदि उसे विश्वास है कि वह उड़ान भरने के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त नहीं है।

(8) हॉट एअॅर बैलून के वाणिज्यिक संचालन के लिए ऑपरेटर के पास महानिदेशक, नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) द्वारा यथा जारी विधिमान्य एअॅर ऑपरेटर परमिट (ए.ओ.पी.) होना चाहिए। सभी बैलून संगठन सी.ए.आर.–145 के अनुसार विमान रख–रखाव संगठन (ए.एम.ओ.) और सी.ए.आर.एम.

सब पार्ट जी के अनुसार निरंतर वायु पात्रता प्रबंधन संगठन (सी.ए.एम.ओ.) के अधीन महानिदेशक, नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं।

(9) प्रत्येक बैलून के संबंध में एक तकनीकी लॉग, जिसमें प्रत्येक उड़ान के ब्यौरे जैसे उड़ान की तारीख, उड़ान का समय, कुल उड़ान का समय, प्रस्थान और आगमन का स्थान दर्शाते हुए, अनुरक्षित किया जाएगा। लॉग बुक में प्रविष्टियां उड़ान लेने वाले पायलटों द्वारा प्रमाणित की जाएंगी। प्रत्येक ऑपरेटर द्वारा बैलून उड़ान के घण्टों और बैलून पर किए गए उपांतरण और अन्य मुरम्मत कार्य का अभिलेख रखने के लिए एक बैलून लॉग बुक अनुरक्षित की जाएगी।

(10) उड़ान संचालन के दौरान बैलून पर सवार होने पर निम्नलिखित दस्तावेज ले जाने होंगे :–

(क) तकनीकी लॉग

(ख) सर्टिफिकेट ऑफ रिलिज टू सर्विस (सी.आर.एस)

(ग) हवा में प्रमाणिकता का प्रमाण (सी.ऑफ.ए.)

(घ) वायु पात्रता समीक्षा का प्रमाण पत्र (ए.आर.सी.)

(ङ) पंजीकरण का प्रमाण पत्र (सी.ऑफ.आर.)

(च) पायलट के लिए समुचित अनुज्ञप्ति

(छ) महानिदेशक नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वज़न अनुसूची

7. **जॉय राइडस वाले फन पार्कों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त.**–जॉय राइडस वाले फन पार्कों के स्थापन में लगे हुए ऑपरेटरों के लिए त्रैमासिक आधार पर उपस्करों का निरीक्षण करने के लिए एक पृथक उप–समिति बनाई जाएगी ताकि प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:–

(*i*)	सम्बद्ध उपमण्डल अधिकारी (सिविल)	अध्यक्ष;
(*ii*)	अधिशासी अभियन्ता (यान्त्रिक सम्बद्ध क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(*iii*)	पुलिस विभाग से एक प्रतिनिधि जो सहायक उप–निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो	सदस्य; और
(*iv*)	उप–निदेशक, पर्यटन / जिला पर्यटन विकास अधिकारी / सहायक पर्यटन विकास अधिकारी	सदस्य–सचिव

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TSM.F(1)- 3/2013-III dated 16-02-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 16th February, 2021

No.TSM.F(1)-3/2013-III.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities (Amendment) Rules, 2019 were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 5-12-2019 *vide* this Department Notification No. TSM.F(1)- 3/2013-II, dated 22-11-2019 to invite objection(s) or suggestions(s) from general public, as required under section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002);

AND WHEREAS, some objection(s) or suggestion(s) have been received from the general public in the Department of Tourism & Civil Aviation in this behalf during the stipulated period and the same have been duly considered and incorporated in the draft rules;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (2) of section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities (Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 2.—In rule 2 of the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules, 2017 (hereinafter referred to as the 'said rules') in sub-rule (1),—

(*i*) for clause(b), the following shall be substituted, namely:—

"(b) "Association" means a society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 or the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006; or Company/Trust registered under relevant Act." ;

(*ii*) in clause (l), the word "and" shall be deleted; and

(*iii*) after clause (m), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(n) "Trekking" means a form of walking undertaken on foot with the specific aim of exploring and enjoying the natural areas/ forests/ mountain areas; but does not include walking on a trek route on pilgrimage to a religious place during the dates specified by the competent authority ; and

(o) "Trek Routes" means linear path or routes as identified and notified by the Department of Tourism and Forests from time to time as Easy, Moderate or Tough trek depending on the difficulty level".

3. Amendment of rule 3.—In rule 3 of the said rules,—

(*i*) for sub-rule(3), the following shall be substituted, namely:—

(3) "The operator (s) or guide (s) or instructor (s) or association (s), as the case may be, who have a local office, who have at least two years experience in the relevant field shall be registered with the Tourism Department, Himachal Pradesh under the Act. The operator (s) or guide (s) or instructor (s) or association (s) which are based outside of the Himachal Pradesh also need to have a local office in the State" ; and

(*ii*) after sub-rule (5), the following shall be inserted, namely:—

"(6) The Registration certificate issued by the prescribed authority shall not restrict the operation of the operator to the jurisdiction of that prescribed authority but shall be valid throughout the State. The Registration authority shall inform other District about registration for record;

(7) The prescribed authority shall convey the decision regarding issuance of every registration certificates to all the districts and the Directorate of Tourism;

(8) The Operator shall enclose with his application the following documents, namely:—

(*a*) details of all Guides and Instructors including copies of certifications and record of their experience;

(*b*) copies of all Permits and Permissions for the proposed adventure sports registration;

(*c*) copies of identification documents, insurance cover for all participants, guides and instructors;

(*d*) copy of Standard Operating Procedure (SOP); and

(*e*) emergency Action Plan for the particular adventure sport to include arrangements for emergency lift and evacuation of clients in case of mishap.".

4. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the said rules,—

(*i*) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3) The Adventure Tour Operator should have a minimum of two experienced and well qualified executive staff under its direct employment. Either Owner or Director himself or their operations-chief employed should be well qualified in adventure activity which the operator wants to pursue. The qualification shall be determined by certification by Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, Himachal Pradesh or Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling or Nehru Institute of Mountaineering, Uttrakashi or Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports Pehlgam or any other recognized National or State Level Institute in the activity with at least practical experience of two years in concerned activities." ;

(*ii*) after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely:—

"(4) The Operator must clearly indicate its specialization of activities or activity for which it wishes to register like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot

Air Ballooning, Zorbing, Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides/Fun Parks, or any other such activity.

(5) The Operator must have his own Adventure equipment as well as specialized trained staff in First Aid/ Cardio Pulmonary Resuscitation having successfully completed basic course in first aid from Government Hospital or any Recognized institution or certificate course conducted by the Adventure Tour Operators Association of India and also be competent to impart first aid training in the use of stretchers.

(6) The Operator will give an undertaking for adherence to sustainable ecological practice and protection of environment in keeping with guidelines for eco-tourism and safety and security guidelines of Ministry of Tourism/Adventure Tour Operator Association of India.

(7) Each Operator shall cover the risk factor of the client/ guides/ instructors by insurance to cover accidental deaths, loss of limbs and/or eyes and permanent/partial disability and emergency evacuation.".

5. Amendment of rule 6.—In rule 6 of the said rules,—

(*i*) in sub-rule (1), after the words "Certificate of registration", the words and sign "which shall be valid throughout the State" shall be inserted; and

(*ii*) after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely:—

"(3) the Guide /Instructor must be 21 years of age and should be medically fit as certified by the Medical Officer. He should also hold a valid basic First Aid and Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Certificate or equivalent Certificate issued by Medical Officer of the government hospital or any recognized institution. He should have good communication skills in Hindi and English.".

6. Amendment of rule 7.—In rule 7 of the said rules, after sub-rule (2) the following shall be inserted, namely:—

"(3) The Guide/ Instructor must clearly indicate its specialization of activity or activities he/she wishes to register like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing, Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides or any other such activity".

7. Substitution of rule 8.—For rule 8 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"Constitution of the Technical Committee.—(1) The Government shall, by notification constitute a Technical Committee for an area for Conducting Miscellaneous Adventure Activities like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trackking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing ball, Rolling Ball, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides /Fun Parks etc. which shall consist of the following members, namely :—

(*i*) The Director, Tourism and Civil Aviation — *Chairman;*

(*ii*) The Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali. — *Vice Chairman;*

(*iii*)	The Superintendent of Police of concerned area or his/her representative.	Member;
(*iv*)	The Sub-Divisional Magistrate of concerned area or his/her representative.	*Member;*
(*v*)	The Conservator of Forest of concerned area or his/her representative.	*Member;*
(*vi*)	Chief Medical Officer of concerned area or his/her representative	*Member;*
(*vii*)	Assistant Director/Deputy Director (Fisheries) of concerned area or his/her representative.	*Member;*
(*viii*)	Executive/Assistant Engineer (Mechanical) HPPWD	*Member;*
(*ix*)	Representative of concerned Hydro-Power Project authorities.	*Member;*
(*x*)	Commandant, Home Guards of concerned area or his/her representative.	*Member;*
(*xi*)	Incharge, Water Sports Centre or his/her duly qualified representative	*Member;*
(*xii*)	One member of the adventure and activitiy Association	*Member;*
(*xiii*)	Deputy Director Tourism and Civil Aviation or District Tourism Development Officer and in his absence Assistant Tourism Development Officer of the area concerned.	*Member Secretary.*

(2) The Chairman of the Regulatory committee can delegate his powers to Vice-Chairman who shall preside over the meetings in his absence. A quorum of seven members shall be necessary for conducting of its meeting."

8. Amendment of rule 9.—The existing provision of rule 9 shall be numbered as (1) and after that the following shall be inserted, namely :—

"(2) The operator(s) or guide(s) or instructor(s) or societies(s) so recommended by the Technical Committee shall be eligible to operate throughout the State.".

9. Substitution of rule 10.—For rule 10 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"Constitution of Regulatory Committee and its functions.—(1) The Commissioner (Tourism) shall by notification constitute a Regulatory Committee for each site, river and area of operation consisting of the following members, namely:—

(*i*)	The Deputy Commissioner	*Chairman;*
(*ii*)	The Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali.	*Vice-Chairman;*

(*iii*)	The Sub Divisonal Magistrate of concerned area or his/her representative	*Member;*
(*iv*)	The Dy. Superintendent of Police of the concerned area or his/her representative	*Member;*
(*v*)	The Divisonal Forest Officer of concerned area or his/her representative.	*Member;*
(*vi*)	The Commandant Home Guards of concerned area or his/her representative.	*Member;*
(*vii*)	The Block Medical Officer of the concerned area or his/her representative.	*Member;*
(*viii*)	Executive Engineer (Mechanical), HPPWD of the concerned area.	*Member;*
(*ix*)	Assistant Director/Deputy Director Fisheries of the concerned area or his/her representative.	*Member;*
(*x*)	The President, Water Sports Association and the concerned area or his/her representative.	*Member; and*
(*xi*)	Deputy Director Tourism and Civil Aviation or District Tourism Development Officer and in his absence Assistant Tourism Development Officer.	*Member Secretary.*

(2) The Chairman of Regulatory committee can deligate his powers to Vice-Chairman who shall preside over the meetings in his absence. A quorum of six members shall be necessary for conducting its meeting".

10. Amendment of rule 11.—In rule 11 of the said rules, for clause (i) the following shall be substituted, namely:—

"(i) The Regulatory Committee shall exercise the overall control for regulating the operations in the area with the assistance of the Miscellaneous Adventure Activities Associations, if any, of the district concerned including for those operators who have been issued Registration Certificate from outside the District.".

11. Substitution of rule 12.—For rule 12 of the said rules, the following shall be substituted, namely:—

"1. Safety Measures:

(1) Every group of persons taking part in adventure sports must be accompanied by a person designated as an Instructor/ Guide.

(2) Instructor/Guide must possess appropriate qualification and skills as indicated in his application for registration.

(3) Every person joining a group engaged in adventure sports must receive an introductory training and Instructor/Guide should be satisfied that they have acquired the skills necessary to participate.

(4) For outdoor adventure sports, Instructor/Guide should be familiar with search procedures and should brief all group members in these procedures.

(5) All group members must be made familiar with the use of radius/Global Positioning System (GPS) based devices where these are required (especially trekking, hot air ballooning etc.

(6) Instructor/Guide should also be familiar with helicopter operations, know how to approach a helicopter and procedures for being winched up and down as per the need of the adventure sport.

(7) Instructor/Guide should be proficient in the use of Global Positioning System (GPS), maps and compasses in any weather by day or night especially for the trekking operation.

(8) Instructor/ Guide should be satisfied that all members are medically fit to take part in the adventure sports.

(9) Instructor/Guide should satisfy themselves that equipment to be used meets all the safety norms for each adventure sport; all inspections have been carried out as recommended by the manufacturer and Technical Committee and is fit for use.

(10) Operator/Instructor/Guide shall under no circumstances exceed the capacity rated by the manufacturer of adventure sports equipment and also not carryout any unauthorized modifications except as required for additional safety measures.

(11) Operator/Instructor/Guide shall keep the information regarding nature of activity, area of operation, period of activity, possible hazards, persons to be contacted in an emergency and list of participants at the site of operation.

(12) Operators shall ensure that for the outdoor events such as: Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox etc. devices with graded distress signal capabilities are made available to adventure sports participants/groups.

(13) Each adventure sports operators shall ensure that a qualified Doctor is available on call for the Participants/ Instructors/ Guides.

2. Safety measures for Trekking.—(1) All members taking up trekking/ mountaineering expeditions on tough treks in groups, should be adequately qualified for taking part in the sport. Basic course certificate issued by National Mountaineering Institute should be considered adequate for this purpose.

(2) For trekking including forest areas, the trekkers/ operator need to have permission from the Forest Department in case trekkers intend to take up trekking /installation of camps/tents etc. for more than one day.

(3) The operator shall ensure that trekking is carried out only on the permitted route, no diversion will be allowed.

(4) The operator shall ensure that trekking activity is carried out only during the season and between 07.00 am to 07.00 pm.

(5) Operator shall ensure that all the trekking groups are Geo-tracked which will be monitored by the District Administration/ District Disaster Management Authority (DDMA). Even for the individual trekkers, they shall also register themselves online on to the Geo-tracking platform of the Government/ District Administration.

(6) The operator will have to submit the list of trekkers as well as certified guides/ instructors in the Police Post/ Police Station of the concerned areas before and after commencement of the trekking.

(7) Operator shall ensure that no trekker abandons trek mid-way. In case of exigency either the whole trekking group shall return as a group or trekkers abandoning the trek shall return under the supervision of instructor/ guide.

(8) Operator shall ensure that each participant, instructor/ guide masters covered with life insurance for minimum for Rs. 2.00 lakhs and rescue insurance for Rs. 2.00 lakhs (total Rs. 4.00 lakhs insurance).

(9) Instructor/Guide of trekking expeditions should possess adequate qualifications as referred to above.

(10) Only those individual trekkers who have done Methods of Instruction Course (MoI) from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling (West Bengal) or Nehru Institute of Mountaineering, Uttrakashi, Uttrakhand or Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports Pehlgam (J&K) or any recognized National or State Institute will be allowed to take difficult trekking expeditions.

(11) It will be ensured that Participants of trekking expeditions/ groups should be physically fit.

(12) Equipments used for trekking (especially mountaineering) should be Union Internatonale des Associstaions d' Alpinisme (International Union of Alpine Clubs) (UAAI) certified or approved by the Indian Mountaineering Foundation.

(13) Operator shall ensure that rescue equipments, such as ropes, harnesses, pulley systems and portable stretchers are maintained as a separate kit in a suitable package marked boldly with the words "Rescue equipments".

(14) Operator shall ensure that all equipments that are subject to wear and tear and must be checked before every use. Even during their storage these equipments must be stored and inspected periodically. Unserviceable equipment would be discarded immediately and the Technical committee shall certify the same.

(15) All Trekking Tour Operators will maintain and update a Standard Operating Procedure for their operations and get the same varify from Technical Committee once in Three Years. The Standard Operating Procedures (SOPs) shall include the following :—

(*a*) the expedition guiding and porter staff on the mountain and the material supplied must be adequate for the expeditions taken up;

(*b*) advance arrangements must be made for medical help/ evacuation assistance in case of emergency which should be known to the authorities and participants alike; and

(*c*) it will be ensured that all Participants of trekking expeditions and trekking groups are physically fit.

(16) Before the initiation of any trekking expedition a true picture of all the difficulties and dangers involved will be conveyed to the participants. The Operators will also ensure that for the commercial trekking expeditions, information about the guiding team and their experience is sent to the participants in advance.

(17) Each participant shall also ensure that his/ her experience (duly supported by documentation /Photograph), medical history etc. is truthfully revealed to the Operator, so that the Operator can make an informed choice about the potential participants.

(18) The Operator will maintain the following documentation:

(*a*) details of all Guides and Instructors including copies of certifications, record of trekking experience and feedback from Participants;

(*b*) copies of all Permits and Permissions of proposed trekking expeditions;

(*c*) copies of identification documents, insurance cover and details of next of kin for all participants, guides and instructors;

(*d*) copy of Standard Operating Procedure (SOP) ; and

(e) current list of emergency contact numbers. Emergency Action Plan for the particular trek.

(19) The trekking Operator shall arrange the following trekking equipments certified by Bureau of Indian Standards (B.I.S) or international Standard:—

- 10 mm climbing rope, min 100 feet in length
- Rappelling Rope
- Helmet
- Carabiner
- Seat Harness
- Mittens
- Descender
- Pulleys
- Stretcher
- Tents, Sleeping Bags & Kitchen Utensils

- First Aid Box with Oxygen Cylinder
- Pulse Oxymeter
- Ice axe
- Medical kit with life saving drugs
- Evacuation of distressed trekkers by helicopters to be on priority. Insurance to cover heli-evacuation.
- GPS based devices for treks involving more than one day stay

(20) The Operator will adhere to the following instructions to clean the environment:—

(*a*) the trekker/ trekkers must bring his/her own cutlery and water bottle to avoid use of disposals;

(*b*) the trekkers must take all the waste generated by him back to the nearest cities/ towns. Mountains do not have any exit for this waste;

(*c*) the trekkers will collect waste found on the trail. Help take it out of the Mountains and to a proper disposal units in the city/town;

(*d*) the trekkers must ensure to use organic toiletries to stay chemical free on the trek;

(*e*) the trekkers must ensure that washing areas and toilets must be atleast 100 meter away from water source; and

(*f*) campsite must be at least 50 meter away from water source.

3. Safety Measures for Bungee Jumping :—

(1) The operator shall ensure that jump staff particularly the jump masters should be properly trained, high level of physical fitness and have vast experience in this activity.

(2) Body & Ultra-lite (B & UL) harness, carabiners & other equipment used for bungee jump should be certified and procured from reputed companies and should be of sound construction and suitable for this use. Mountaineering equipment from reputed suppliers is appropriate and carabiners should be of the screw gate type. The equipments should be stored and maintained properly with regular inspection of the equipment as per the safety manuals. Daily, weekly and yearly inspection should be carried out and recorded with record of all inspections should be entered in the safety log to be maintained at the site. The Technical Committee shall inspect the records of all inspections along with the equipments during its inspection.

(3) All parts of the jump line must be in duplicate. This extends from the connection of the bungee to the jumper and the connection to the structure at the other end of the line. Normally the jumper should have an attachment to ankle straps and another to a body or seat harness.

(4) Bungee records should be made by the jump masters and certified. The operator shall maintain record of each jump.

(5) The operator shall ensure the following documents are maintained at the expedition site:

- Record of equipment
- Safety log
- Maintenance log
- Record of rubber or the Rope Log book
- Jump log
- Incident folders
- Medical Record
- First Aid Kit Record
- Insurance Record
- Staff training record.
- Dossier of Jumpmaster/Instructor/Guide

(6) The bungee jumping shall be restricted to 12-55 years with minimum weight allowed for a jump is 40 kgs and maximum weight allowed is 110 kgs.At least 2 braided ropes should be used and matched to the weight of the jumper, they should be to BS 3F 70 1991 specification for heavy duty braided rubber cord, or to a demonstrably similar standard. However for the unbraided rope only one is adequate because of the in-built redundancy from its structure of approximately one thousand individual stands bound together. Each rope should have an examiners certificate from an independent source and be selected according to the weight of the jumper.There should be a dead weight drop test for the whole line at the beginning of the day to ensure its integrity.

(7) The guide/instructor/jump master shall personally give safety briefing to all the participants. The safety measures should also be displayed at a number of places prominently.

(8) For avoiding distraction and also for safety of the participants and spectator strict control should be made at the site wherein, they will be excluded from the jump zones.

(9) The operator shall ensure that each participant, instructor/ guide/ jump master is covered with life insurance for minimum for Rs. 2.00 lakhs and rescue insurance for Rs. 2.00 lakhs (total Rs. 4.00 lakhs insurance).

(10) The operator shall ensure that bungee jumping activity is carried out only between 09.00 AM to 06.00 PM in good daylight.

(11) The operator shall ensure that the medical requirements for the bungee jumping are briefed personally to all the participants and also displayed at the site. All the jumpers/ participants shall sign the Fitness Certificate. Medical restrictions for bungee jumping include: Heart problem, High blood pressure, Neurological disorder, Spondylitis, Back issues, Recent fracture, Surgery or Hospitalisation, Epilepsy, Osteoporosis and Pregnancy etc.

(12) The operator shall have a Jumpmaster/ Instructor/ Guide who would be the overall incharge of the site.

4. Safety Measures for Rock Climbing/Artificial Wall Climbing and Rappelling:— (1) The operator shall ensure that guides and instructors who are supervising climbing and rappelling activities should hold valid certificates for the following:—

(*a*) a minimum 8 hour (1 day) first aid course provided by a recognised and qualified provider; and

(*b*) basic Mountaineering Course from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling or Nehru institute of Mountaineering, Uttrakashi or Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports Pehlgam or any recognized National or State Institute and be certified by a MOI Qualified Instructor to have assisted climbing and rappelling activities for a minimum of 100 hours or Indian Mountaineering Foundation (IMF) recognised Sports Climbing Instructors course or should have sufficient experience certified by suitably qualified Coaches/Instructors duly recognised by above institutes.

(2) The operator shall ensure that the climbing and rappelling equipments are rated by the manufactures and have a quantifiable safe working load. As a minimum standard for such systems, operators must adhere to a safety factor of 3 in accordance to the operator's weight limitations. In addition, fixed protection systems must be proven to withstand 10 QN (1 ton) without displaying any visible deformation or damage. In order to fully understand appropriate fixed anchor/protection systems an operator must also have sound knowledge of static/ dynamic load and fall factors.

(3) The operator shall use the rated and quality assured Personal Protective Equipment (PPE) with internationally recognised safe working load of 25QN (2.5 tons).

(4) For the use of the rope the operator shall consult the manufacturer’s manual to ascertain its intended use. Rope with less than safe working load of 25QN (2.5 tons) and Conformite Europee Mark (CE) approval which is not designed specifically for the use of climbing and rappelling activities must never be used for this purpose.

(5) The operator and instructor/ guide must have a complete and sound knowledge of the hardware like carabiners, belay devices etc. which should have a safe working load of 25QN (2.5 tons) and CE approval.

(6) The operator shall ensure that all equipment subject to wear and tear and must be checked before every use;

(7) The Technical Committee shall carry out the inspection of the equipments etc. once a year in accordance with the operations procedures of the adventure sport and risk assessments.

(8) The operator shall ensure that all harnesses are properly fitted and checked by a qualified instructor/ guide/ leader to ensure that they are fitted correctly prior to leaving the ground and being exposed to a potential fall.

(9) It is the responsibility of the operator to ensure that a helmet is used in every operation.

(10) The operator shall ensure that following minimum requirement and standards are applied to all climbing and rappelling activities :—

(*a*) that the Anchor is permanent fitted with the intention to be used for this particular activity and has been tested to withstand a minimum of 10 QN (1 ton).

(*b*) that the rope is a climbing rope that has been made by an approved manufacturer and is the correct type of rope for this particular activity. The rope should not show any signs of damage or deformity *i.e.* excessive "fluffing", cuts,rips or tears, thin bits, fat bits etc.

(*c*) that the carabiners and slings are used for the purpose of climbing and rappelling only and there are no signs of damage, deformity or wear and tear;

(*d*) that the knots should be correct and are double-checked before exposing anyone to a potential fall;

(*e*) for the harness it should not be damaged, deformed or suffer from wear and tear; and

(*f*) that the belay device should be fitted correctly and the belayer knows how to use the device.

(11) The participants below the age of 10 should not be allowed to participate in the climbing or rappelling activities. All the participants should be briefed about the risk involved in the activity and their physical fitness must be considered before participating in the activities. Persons who are Heart Patients, those with Spinal issues Neurological disorders Osteoporosis, recent surgery or any other medical issue of concern, expecting mothers and under age children will not be allowed to undertake the activity. It is also recommended that epilepsy and asthmatic patients (without inhalers), avoid this activity.

(12) the Operator will maintain the following documentation:—

(*a*) Documents regarding associated equipment purchase, including warranty, service and maintenance history documentation.

(*b*) Documented installation/structure checks

(*c*) Logbook of instructor training and qualifications

(*d*) Valid first aid/ Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) certificate

(*e*) Emergency Action Plan

(13) The operator shall ensure that all the leaders/instructors/guides are trained in emergency/evacuation procedures.

(14) All instructors and guides should give a thorough safety briefing to all the participants of climbing and rappelling activities.

5. Safety measures for River Crossing/Zipline/Flying Fox.—(1) All the guides or instructors involved in River Crossing/ Zipline/ Flying Fox have the right combination of training and experience to carry out the following tasks:

(*a*) Provide participants with the information required to ensure that the equipment and elements are to be used correctly.

(*b*) Check that participants use the right equipment

(*c*) Ensure that the operator's safety instructions are complied with

(*d*) Carry out a mid-span rescue, safely bringing a participant back to the ground within 30 minutes; or alert an on site rescuer.

(*e*) Provide assistance with First Aid, including stretcher evacuation if required

(2) The operator will ensure that river crossing/zipline/ flying fox are only undertaken by those who are physically and mentally able to comply with the safety requirements so specified.The sports shall not be undertaken by persons suffering or experiencing,—

(*a*) Asthma (without inhalers)

(*b*) High Blood Pressure

(*c*) Heart disease or recent open heart surgery

(*d*) Diabetes

(*e*) Knee related problems

(*f*) Spinal issues

(*g*) Severe allergies

(*h*) Recent surgery/ hospitalization

(*i*) Any other ailments of a serious nature

(*j*) Pregnancy (expecting mothers should not participate in the activity)

(3) For the choice of site w.r.t. river crossing /zipline/flying fox, these shall be located in an area of reasonable operating safety; it shall be possible to evacuate participants from any part of the course.

(4) The materials used for the activity shall be fit for purpose and conform to the following:—

(*a*) timber parts shall be designed in such a way that precipitation can drain off freely and water accumulation can be avoided. Metal parts shall be weather proofed against atmospheric conditions. Wire rope inspections and discard criteria shall conform to ISO 4309;

(*b*) all wire rope terminations shall conform to EN13411 Parts 1-7. The number of wire grips shall depend on the nature and diameter of the wire rope and the types of wire ropes and grips used. Points of attachment on wire ropes may create local fatigue and shall be given special attention during inspections;

(*c*) all wire activities shall be designed with consideration for the size and body weight of the participants. The dynamic load (generated by a falling participant) shall not exceed 6 QN. Installations using self-belay systems made out of steel wire rope shall be calculated using safety factor 3.0 in relation to the ultimate load;

(*d*) for the support system artificial and/or natural structure intended for installation of activity and safety systems shall have the stability and resistance appropriate for the load calculated;

(*e*) the safety connection between the participant and the zip wire shall be made with the appropriate personal protective equipment (PPE);

(*f*) wire ropes shall have no exposed broken wire ends within the reach of the participants. If any part of the zip wire and landing area is not visible from the start point, a departure regulation system shall be used. If participants are required to brake actively during the descent; a passive braking system (*e.g.* gravity, buffer, bungee, net) shall always be in place; and

(*g*) when participants' feet are more than 1.0m from the ground, a safety system shall be in place which should be both collective (*e.g.* railings, landing mats, belay anchor) or individual (e.g. safety harness & belay to fall arrest device).

(5) The Technical Committee shall before a site is approved for the river crossing/zipline/ flying fox will ensure that visual inspection, functional inspection, design validation, documentation including structural analysis with date and location of inspection is carried out by the committee with the notification of result of inspection and details of any defects detected.

(6) For the regular operation the equipment including PPE (Personal Protective Equipment) and its components should be inspected or maintained as follows:—

(*a*) Routine visual check – before each opening (by the operator).

(*b*) Operational inspection – every 1-3 months (by Department of Tourism).

(*c*) Periodical inspection –at least once per year by the Technical Committee which include: visual inspection, functional inspection, determination of replacement state of worn parts, inspection including manufacturer's instructions for maintenance.

(*d*) A personal protective equipment inspection register is required for each set of devices.

(7) The operator shall ensure that all participants are required to wear Personal Protective Equipment (PPE) while engaged in the adventure activities. The PPE should include ,—

(*a*) Rock climbing seat harness

(*b*) Additional chest harness or full body harness where appropriate

(*c*) Two points of attachment (*e.g.* lanyards & screw gate carabiners) to the safety system

(*d*) All Personal Protective Equipment (PPE) shall conform to Union Internationale des Associations d' Alpinisme. (International Union of Alpine Clubs) (UIAA) or EN/Conformite' Europee Mark (CE) standards.

(8) Before commencing an activity all participants shall be informed of the safety instructions, which should include ,—

(*a*) explanation of the activity and inherent risks ; and

(*b*) explanation and demonstration of the equipment including PPE when required

(9) The operator shall ensure that following documentation are available on site :—

(*a*) name and address of owner and operator;

(*b*) document indicating the annual inspections carried out by Technical Committee;

(*c*) list of site personnel and their job titles ;

(*d*) evidence of public and other liability insurance;

(*e*) log book containing the daily operation sheets (including faults observed during inspections at opening and closing, relevant events concerning safety). These need to be kept for three years ;

(*f*) accident and incident report sheets ;

(*g*) personal protective equipment inspection register and operation log ;

(*h*) risk assessment and management plan – drawn up by the zip line course operator;

(*i*) manufacturer's product manual ;

(*j*) rescue and emergency plan ; and

(*k*) current inspection report.

(10) All guides/participants must have a life jacket on all times while participating in river crossing activity. The life jacket must have adequate buoyancy (minimum of 6.14 kg and preferable 9-10 kg) must be the proper type (U.S. Coast Guard Type-III or V /Committee of European Norms (C.E.N) / International Organization for Standardization (ISO) with a provision of ensuring a snug fit by straps etc. and the life jacket must be worn correctly. Inflatable life jacket and the Keyhole type jackets should not be allowed. Guides must ensure that the lie jackets are fastened in a secure manner before the start of trip.

(11) The operator shall adhere to relevant provisions of Himachal Pradesh Aerial Ropeway Act, 1968.

6. Safety measures for Hot Air Ballooning.—(1) Adventure activity where any kind of aircraft, balloon, glider etc. to be carried out and appropriate clearances from Director General of Civil Aviation (DGCA) and necessary notification to Indian Air Force Identification Agencies (ADIA) is mandatory. The following may be emphasized before clearance/ license to operate such activities are issued,—

(*a*) *NOTAM.*—To conduct the flying / air adventure activities, it is mandatory to inform the concerned civil aviation agencies such as Director General Civil Aviation (DGCA) so that the nature of the flying activity may be known for safe and smooth conduct of flying activities; and

(*b*) *Air Defence Identification Agency Clearance.*—There is an inescapable requirement for such operators/ flying schools/air adventure clubs to intimate their flight plan to

concerned Air Defence Identification Agency (ADIA) with all necessary details— height, duration of flight, area of operation etc. for issuance of Air Defence Clearance, prompt identification of the aerial object and effective air space management without jeopardizing flight safety.

(2) To fly Hot Air Balloons one must have a Balloon Pilot License issued by Director General Civil Aviation (DGCA). If an operator employs Foreign Pilots then those Pilots must have a Valid FATA (Foreign Aircrew Temporary Authorization) which is issued by Director General Civil Aviation (DGCA). As part of all Pilot license requirements, every Pilot must be having a Medical Certificate endorsed by the relevant Civil Aviation Authority.

(3) The operator shall ensure that the following Instruments & Equipments are carried by Balloons in flight:—

(*a*) hand fire extinguisher of an approved type, in the main compartment carrying personnel;

(*b*) safety harness for each personnel on board. The harness for each person need not be provided for gondola or basket type of balloons;

(*c*) a compass, an altimeter, a rate of climb indicator;

(*d*) first Aid Kit (as per CAR Series X, Part III);

(*e*) a fuel quantity gauge;

(*f*) an envelope temperature indicator;

(*g*) 3 separate ignition sources;

(*h*) two way R/T Communication and Global Positioning System (GPS) Equipment; and

(*i*) flight Manuals, Operations manual and all other relevant manuals as specified by Director General Civil Aviation.

(4) As the Balloons are certified aircraft and, as such, are regulated by the Director General Civil Aviation (DGCA). They must meet manufacturing standards and are subject to periodic inspections, just like a commercial aircraft. All Balloons must be registered with the Director General Civil Aviation (DGCA) and its registration no. displayed on the Balloon;

(5) On the basis of Manufacturer Maintenance Manual, operators need to prepare an Aircraft Maintenance Program (AMP) which must be approved by the Director General Civil Aviation (DGCA);

(6) The following documentation is required to be maintained by the operator,—

(*a*) details of owner and operator;

(*b*) document indicating the annual inspections carried out by an inspecting body;

(*c*) list of Pilots along with copies of relevant certifications;

(*d*) copies of public and other liability insurance (pilot, participants and third part);

(*e*) copies of Permission from Airports Authority and local authorities;

(*f*) log book containing the daily operation sheets;

(*g*) accident/ incident report sheets;

(*h*) flight and operations log;

(*i*) passenger Manifest Sheets;

(*j*) risk assessment and management plan;

(*k*) emergency procedures manual and Manufacturer's product manual; and

(*l*) current inspection report.

(7) The pilot incharge shall brief the participants (Pre-flight passenger briefing)for the following :—

(*a*) description of the activity;

(*b*) safety instructions;
(*c*) weather, Medical and Age restrictions; and

(*d*) information relating to personal public liability insurance of the operator.

The operator shall ensure that every pilot and passenger thoroughly understand emergency procedures. As per Director General Civil Aviation (DGCA) guidelines all Hot Air Balloons must have comprehensive insurance that includes coverage of all passengers, Pilot and third party liability. As a matter of Best Practice, all commercial operators should expect every passengers to have a basic level of general health and physical well being, to include:—

(*a*) no recent surgery;

(*b*) no known significant hip, knee, neck or back problems;

(*c*) no recently broken bones;

(*d*) not currently pregnant;

(*e*) ability to stand for at least 1 hour without rest;

(*f*) must be at least 5 years of age; and

(*g*) not under the influence of alcohol or drugs at the time of flight. The Pilot is responsible to assess the medical condition of all passengers before boarding a Hot Air Balloon Flight and the Pilot and the operator reserves the right to refuse any passenger to fly if they believe that they are not medically fit to fly.

(8) For the commercial operations of Hot Air Balloons, an Operator must have a valid Air Operator Permit (AOP) as issued by Director General Civil Aviation (DGCA). All Balloon Organizations have to be approved by Director General Civil Aviation (DGCA) under Aircraft

Maintenance Organization (AMO) as per CAR-145 and Continuing Air worthiness Management Organization (CAMO) as per CAR-M, Sub-Part G;

(9) A Technical log in respect of each balloon indicating details of every flight, like the date of flight, lift off time, total flight time,the places of departure and arrival, shall be maintained. The entries in the log book shall be certified by the pilots undertaking the flights. A Balloon log book shall be maintained by every operator to keep a record of the flying hours of a Balloon and the modification and other repair work carried out on the balloon.

(10) During the flight operations following documents would be carried on board of the Balloon:—

(*a*) Technical Log

(*b*) Certificate of Release to Service (CRS)

(*c*) Certificate of Air worthiness (C of A)

(*d*) Air worthiness Review Certificate (ARC)

(*e*) Certificate of Registration (C of R)

(*f*) Appropriate license for the Pilot

(*g*) Weight Schedule, duly approved by Director General Civil Aviation (DGCA)

7. Guidelines for Fun Parks having Joy Rides.—For the operators engaged in the establishment Fun Parks having Joy Rides a separate sub-committee shall be formed to inspect the equipment(s) on quarterly basis so that safety of the participants could be ensured. This committee shall comprise of the following members:—

(*i*)	Sub-Divisional Officer (Civil) concerned	*Chairman;*
(*ii*)	Representative of Executive Engineer, HPPWD (Mechanical Concerned area)	*Member;*
(*iii*)	Representative from Police Department and not less than ASI	*Member;*
(*iv*)	Deputy Director Tourism/ District Tourism Development Officer/Assistant Tourist Development Officer.	*Member Secretary"*

By order,

DEVESH KUMAR,
Secretary (Tourism & Civil Aviation).

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 अप्रैल, 2021

संख्या टी0पी0टी0–ए(3)–6 / 2020.––हिमाचल प्रदेश मोटरयान (द्वितीय संशोधन) प्रारूप नियम, 2020 को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 17–08–2020 द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के उपबन्धों के अधीन यथाअपेक्षित के अनुसार, तद्द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 19–08–2020 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान राज्य सरकार को कोई भी आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5–24 / 88–टी0पी0टी0–III, तारीख 12 जुलाई, 1999, द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात् :––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 69–क का प्रतिस्थापन.––हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के नियम 69–क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :––

"69–क. अखिल भारतीय अनुज्ञापत्रों के लिए कम्पोजिट फीस.––पर्यटन यान, जिन्हें मोटरयान अधिनियम, अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है, की बाबत कम्पोजिट फीस निम्नलिखित दरों पर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी, अर्थात् :––

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	दरें
1.	चालक को अपवर्जित करके बारह यात्रियों से अधिक की बैठने की क्षमता वाले यान	**साधारण / डीलक्स बसें** ₹ 2500 / – प्रतिदिन (13 से 32 सीटर) ₹ 3500 / – प्रतिदिन (32 सीटर से अधिक) **आरामदायक वातानुकूलित बसें जैसे वोल्वो, मरसडिज आदि** वोल्वो, मरसडिज आदि ₹ 5000 / – प्रतिदिन;
2.	चालक को अपवर्जित करके छह यात्रियों से अधिक किन्तु बारह यात्रियों से अनधिक की बैठने की क्षमता वाले यान	**सात से आठ सीटर** ₹ 300 / – प्रतिदिन **नौ से बारह सीटर** ₹ 500 / – प्रतिदिन; और

3.	चालक को अपवर्जित करके छह से अनधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले यान	**चार से छः सीटर** ₹ 200 / – प्रतिदिन

संचालन के दिनों पर विनिश्चय अनुज्ञापत्र से जुड़े दौरे के कार्यक्रम के आधार पर किया जाएगा, किन्तु यदि यान को राज्य में कम्पोजिट फीस को जमा किए बिना चलाया जाता है, तो अतिरिक्त फीस, जो यान की प्रत्येक श्रेणी को देय फीस के पांच गुणा के बराबर हो, व्यतिक्रमी से वसूल की जाएगी।''।

आदेश द्वारा,

कमलेश कुमार पंत,
प्रधान सचिव (परिवहन)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-6/2020 dated 7-4-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th April, 2021

No. TPT-A (3)-6/2020.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2020 were notified *vide* this department notification of even number dated 17-08-2020 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 19-08-2020 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the persons(s) likely to be affected thereby, as required under the provisions of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) ;

AND WHEREAS, no objection(s)/suggestion(s) have been received during the stipulated period by the State Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 211 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999 notified *vide* this Department notification No. 5-24/88-TPT-III dated 12 July, 1999, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Substitution of Rule 69-A.—For rule 69-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:—

> **"69-A. Composite fee for All India Permits.—**There shall be levied, charged and paid to the State Government, a composite fee at the following rates, in respect of tourist vehicles which are authorized to ply in the State of Himachal Pradesh under All India Permits granted by any State Transport Authority of other State or Union Territory under sub-section (9) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988, namely:—

Sl. No.	Category of Vehicle	Rates
1.	Having seating capacity to carry more than twelve passengers excluding driver.	**Ordinary/Deluxe Buses** ₹ 2500/- per day (13 to 32 seater) ₹ 3500/- per day (above 32 seater) **Luxury AC buses like Volvo, Mercedes etc.** ₹ 5000/- per day;
2.	Having seating capacity to carry more than six passengers but not more than twelve passengers excluding driver.	**Seven to eight seater** ₹ 300/- per day **Nine to twelve seater** ₹ 500/- per day; and
3.	Having seating capacity to carry not more than six passengers excluding the driver.	**Four to six seater** ₹ 200/- per day

Decision on days of operation will be taken on the basis of the tour programme associated with the permit, but if the vehicle is plied in the State without depositing the Composite Fee, then the additional fee which is equivalent to five times fee due in each category of vehicle shall be recovered from the defaulter.".

By order,

KAMLESH KUMAR PANT,
Principal Secretary (Transport).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री भीम सिंह पुत्र जय दियाल, निवासी गांव तोगा, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री भीम सिंह पुत्र जय दियाल, निवासी गांव तोगा, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत करवाल के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में भीम सिंह दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल मलूर टिक्कर, तोगा के भू–इन्द्राज में भीमा दर्ज है जो कि गलत दर्ज है इसलिए महाल तोगा के भू–राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम भीमा के बजाये भीम सिंह दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16–04–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24–03–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)**

श्री बिहारी लाल पुत्र अमर चन्द, निवासी गांव व महाल मलूर, परगना जून्ढ, उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री बिहारी लाल पुत्र अमर चन्द, निवासी गांव व महाल मलूर, परगना जून्ढ, उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का नाम ग्राम पंचायत गुवालू के परिवार रजिस्टर रिकार्ड, में अमर चन्द दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल मलूर के भू–इन्द्राज में प्रार्थी के पिता का नाम अमरू दर्ज है जो कि गलत दर्ज है इसलिए महाल मलूर के भू–राजस्व अभिलेख में आवेदक अपने पिता का नाम अमरू उर्फ अमर चन्द दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16–04–2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24–03–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है